

Dehi Height — Sanction letter

कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

मानचित्र संख्या 911/284 जि. 20/2-13 डि. 25-1-14

श्री विजय कुमार एवं श्री अशोक वाडिया

17 किरन एन्कलेव, जी.टी.रोड,

नियर सम्राट होटल,

गाजियाबाद।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.12 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं. सै.-14 टी.एच.ए. कौशांबी, गाजियाबाद पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे - नगरपालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानचित्र उ. प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक रैम्प नहीं बनाये जायेंगे यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त शपथ पत्रों का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ. प्र. राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 50 पेड़ लगाया अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निम्नलिखित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. 300 वर्ग मीटर या ऐसे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों के फुटपैथ हावर्सिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12-00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवरस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था करनी होगी।
18. अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बैकवेट हॉल/बारात घर व 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करना अनिवार्य होगा।
19. निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता, वर्कमैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू-स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
20. भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15(3) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण की भूमि विषयक भू-स्वामित्व के लिए विधितः बाध्य नहीं है।
21. आन्तरिक विकास कार्यों हेतु वांछित धनराशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत की है जिसकी वैधता दिनांक 11.12.16 तक है। उक्त अवधि से पूर्व आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर सम्पूूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा अन्यथा वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व समयवृद्धि की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
22. लेबर सैस की आंकलित धनराशि रु. 29,33,721.00 की 20% धनराशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मानचित्र स्वीकृति की दिनांक के अनुसार समयबद्ध यूपी.बिल्डिंग एन्ड अदर कन्सट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में जमा करानी होगी। भविष्य में यदि श्रम कार्यालय से इस सम्बन्ध में यदि कोई अन्य निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसका भी अनुपालन करना होगा।
23. अभिशपण विभाग द्वारा जारी अनापत्ति पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन करना होगा।
24. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी जिसके उपरान्त ही सम्पूूर्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
25. परियोजनावल विद्युत वितरण निगम लि. से प्राप्त एन.ओ.सी. में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

के.प.